

म०प्र०राज्य. कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रां./बैंक.पो.ऑ/2015-16/537  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01/6/15


संयुक्त संचालक/उप संचालक  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय ..... (समस्त)  
(म०प्र०)

विषय :- मध्यप्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगण में ए.टी.एम. एवं बैंक शाखा खोलने के संबंध में

आपके संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में जिन मंडी प्रांगणों में बैंक/ए.टी.एम. नहीं है उन प्रांगणों में बैंक की शाखाएं खोलने एवं ए.टी.एम. की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही हेतु म०प्र० कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 अनुसार (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर) स्थान उपलब्ध कराने बाबत निर्देशित किया गया था। उक्तानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही की जानकारी/प्रगति निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजी जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा प्रत्येक माह की विडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक एवं संयुक्त संचालक/उपसंचालक की मासिक बैठक में उक्त प्रकरण में आपके द्वारा की गई कार्यवाही/प्रगति की समीक्षा की जावेगी।

क	मंडी का नाम	मंडी में स्थापित बैंक शाखा/एटीएम (बैंक का नाम)	जिन मंडी में बैंक शाखा/एटीएम नहीं है, मंडी के नाम	जिन मंडी समितियों में बैंक/एटीएम नहीं है, के संबंध में की गई कार्यवाही/प्रगति की जानकारी	रिमाक
1.					
2.					
3.					
4.					

  
अपर संचालक(प्रांगण)  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल h